रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 715] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 17, 2009/अग्रहायण 26, 1931
No. 715] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 17, 2009/AGRAHAYANA 26, 1931

IndiaCode

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 2009

सा.का.नि. 901(अ).—केन्द्रीय सरकार, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 53) की धारा 96 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण नियम, 2003 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण (तीसरा संशोधन) नियम, 2009 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण नियम, 2003 में,-

(क) दूसरी अनुसूची के स्तंभ (3) में,-

(i) क्रम सं. 4 के सामने, प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"व्यष्टि–5,000 रु.
शैक्षणिक–7,000 रु.
वाणिज्यिक–10,000 रु.";

(ii) क्रम सं. 5 के सामने, प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"व्यष्टि–5,000 रु.
शैक्षणिक–7,000 रु.
वाणिज्यिक–10,000 रु.
प्रतिवर्ष";

(iii) क्रम सं. 8 के सामने, प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :

"व्यष्टि–3,000 रु.
शैक्षणिक–5,000 रु.
वाणिज्यिक–7,000 रु.";

(ख) चौथी अनुसूची में,-

(i) क्रम सं. 2 के सामने स्तंभ (4) में विधि सलाहकार के पद से संबंधित विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

"अवर सचिव";

(ii) क्रम सं. 4 में प्रविष्टि, लेखा अधिकारी के पद का लोप किया जाएगा ।

(iii) क्रम सं. 5 के सामने स्तंभ (3) में तकनीकी सहायक के पद से संबंधित, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

"1";

(iv) क्रम सं. 6 के सामने स्तंभ (3) में कंप्यूटर सहायक के पद से संबंधित, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

"6" ।

[फा. सं. 1-7/2009-एसडी. V]

उपमा चौधरी, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—मूल नियम, भारत के राजपत्र में सं. सा.का.नि. 738(अ), तारीख 12 सितम्बर, 2003 द्वारा प्रकाशित हुए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. 843(अ), तारीख 30 दिसम्बर, 2004, सा.का.नि. 731(अ), तारीख 14 अक्तूबर, 2008, सा.का.नि. 319(अ), तारीख 11 मई, 2009 और सा.का.नि. 783(अ), तारीख 27 अक्तूबर, 2009 द्वारा संशोधित किए गए थे ।

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Co-operation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th December, 2009

G.S.R. 901(E).— In exercise of the powers conferred by Section 96 of the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001 (53 of 2001), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Rules, 2003, namely :—

1. (1) These rules may be called the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights (Third Amendment) Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Rules, 2003,—

(a) in the Second Schedule, in column (3),—

(i) against serial number 4, for the entries, the following entries shall be substituted, namely,—

"Individual — Rs. 5,000
Educational — Rs. 7,000
Commercial — Rs. 10,000";

(ii) against serial number 5, for the entries, the following entries shall be substituted, namely,—

"Individual — Rs. 5,000
Educational — Rs. 7,000
Commercial — Rs. 10,000
per years";

(iii) against serial number 8, for entries, the following entries shall be substituted, namely,—

"Individual — Rs. 3,000
Educational — Rs. 5,000
Commercial — Rs. 7,000";

(b) in the Fourth Schedule,—

(i) against serial number 2, relating to the post of Legal Adviser, in column (4), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely,—

"Under Secretary";

(ii) the entry at serial number 4, relating to the post of Accounts Officer shall be omitted;

(iii) against serial number 5, relating to the post of Technical Assistant, in column (3), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely,—

"1";

(iv) against serial number 6, relating to the post of Computer Assistant in column (3), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely,—

"6".

[F. No. 1-7/2009-SD. V]

UPMA CHAWDHRY, Jt. Secy.

Note :—The principal rules were published in the Gazette of India, *vide* number G.S.R. 738(E), dated the 12th September, 2003 and subsequently amended *vide* G.S.R. 843(E), dated the 30th December, 2004, G.S.R. 731(E), dated the 14th October, 2008, G.S.R. 319(E), dated the 11th May, 2009 and G.S.R. 783(E), dated the 27th October, 2009.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.